

प्ररूप 21-ख
(नियम 11(1) देखिये)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन
निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम(1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नरेन्द्र बुडानिया

मकान सं. 256,

जीवण माता मन्दिर के पास,

चूरू (राजस्थान)

जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किये गये हैं

उस सदन में श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान:- राजस्थान विधान सभा,

जयपुर- 302005

दिनांक 10 जून, 2010

H.R. Kuzi
(एच. आर. कुडी)

रिटर्निंग आफिसर,

राज्य सभा के लिए

राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों

द्वारा उप- निर्वाचन, 2010